



पत्र संख्या- 200/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-04.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 04.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

थाना- मुबारकपुर: ग्राम बम्हौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2025 को ग्राम बम्हौर में संदीप कन्नौजिया पुत्र महेन्द्र कन्नौजिया ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह में लावा परछन के लिये गाँव व परिवार की महिलाएं गाँव के पोखरे पर जा रही थी कि तभी दुसरे समुदाय के लड़के अबुजैद S/O भुल्लन, रहमान, वकाश, वसीम, आलिम पुत्रगण शमीम, जुबैद S/O इफ्तेखार, वकार S/O महमूद, एहतेशाम S/O शब्बीर, अरबाज S/O कमालू, अरमान S/O कमालू, अरमान S/O जावेद, S/O भुल्लन S/O आले हसन, सैफु S/O अज्ञात नदीम S/O शमीम अरमान S/O अज्ञात, और उनके साथ के अन्य लड़के परछन में शामिल महिलाओं और लड़कियों का वीडियो बनाने लगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए कमेंट करने लगे मना करने पर मारना पीटने एवं जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 110, 125, 61(2) 74, 61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.06.2025 को निहार नन्दन कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह पुलिस बल के बम्हौर में घटित घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम बम्हौर से नामजद अभियुक्त 1. वसीम पुत्र शमीम उम्र करीब 26 वर्ष 2. मो0 मोअज्जम पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष व 03. 01 किशोर अपचारी को समय करीब 12.20 बजे पकड़ लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अन्य अभियुक्तगणों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वसीम पुत्र शमीम ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
2. मो0 मोअज्जम पुत्र अब्दुल ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष
3. एक नफर किशोर अपचारी थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0- 228/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 110, 125, 61(2) 74, 61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V/ एससी एसटी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

SHO निहार नन्दन कुमार मय हमराह हे0का0 जयराम, का0 विवेक कुमार, का0 मदन शर्मा व म0का0 मनीषा भारती, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना अतरौलिया: डीसीएम वाहन पर लदे 18 पशु के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2025 को उ0नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक डीसीएम वाहन को केशवपुर पुल के पास रुकने का इशारा किये तो डीसीएम चालक और दो अन्य व्यक्ति गाड़ी से उतरें। डीसीएम वाहन सं0 UP42BTxxxx को चेक किया गया तो उसमें 18 बैस/ पड़िया मौजूद थे, जिनके पैर व मुंह रस्सी से क्रूरतापूर्वक बंधा था। अभियुक्तगणों का यह कार्य अन्तर्गत 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम होने के कारण समय 22.40 बजे बरामद वाहन डीसीएम व बैस/पड़िया को कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/25 धारा 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 बनाम 1. राकेश यादव S/O स्व0 महादेव R/O शाहजहाँपुर Ps रानो पाली जनपद अयोध्या उम्र 45 वर्ष 2. ताजुद्दीन S/O नबी R/O नगरोपार Ps मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मउ उम्र 50 वर्ष 3. टिन्कू अहमद S/O कमर R/O नगरोपार Ps मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मउ उम्र 40 वर्ष को पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचन उ0नि0 रमेश सिंह द्वारा की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 187/25 धारा 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 थाना अतरौलिया आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. राकेश यादव S/O स्व0 महादेव R/O शाहजहाँपुर Ps रानो पाली जनपद अयोध्या उम्र 45 वर्ष

2. ताजुद्दीन S/O नबी R/O नगरोपार Ps मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मउ उम्र 50 वर्ष

3. टिन्कू अहमद S/O कमर R/O नगरोपार Ps मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मउ उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 760/2009 धारा 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 थाना अजगैन जनपद उन्नाव

2. मु0अ0सं0 278/2011 धारा 275/338/427 भादवि थाना एत्मादपुर जनपद आगरा बनाम राकेश यादव S/O स्व0 महादेव R/O शाहजहाँपुर Ps रानो पाली जनपद अयोध्या

बरामदगी - एक डीसीएम वाहन सं0 UP 42 BT 5162 व 02 बैस, 16 पड़िया



03. थाना- जीयनपुर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास—

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2025 को आवेदिका थाना जीयनपुर ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अतीश पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम पिचरी, थाना मुबारकपुर द्वारा वादिनी की लड़की को पिछले लगभग पाँच वर्ष से शादी का झांसा देकर शादी करने को कह रहा था व लगभग एक वर्ष से शारिरीक सम्बन्ध भी बनाया करता था । जब मेरी लड़की की शादी के लिए दबाव बनायी तो इधर उधर का बहाना बनाने लगा व कल रात को मेरे घर आया व मेरी लड़के के साथ लगभग दो घंटे रहा इसी बीच मेरी मोबाइल लेकर उसमे मेरी लड़की के बीच सम्बन्ध का जो रिकार्ड था ,उसको डिलीट कर रहा था ,जिसको मेरी लड़की द्वारा मना करने पर धमकी देने लगा और भागने लगा कि मै जा रहा हूँ, अब शादी नहीं करूंगा , जो करना होगा कर लेना, तब से उसकी मोबाइल बंद है, के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 200/2025 धारा 69/351(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अतीश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण —

दिनांक 04.06.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अतीश कुमार उर्फ अंश पुत्र अशोक कुमार निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को समय करीब 09.05 बजे रशीदाबाद राईसमील थाना जीयनपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1- अतीश कुमार उर्फ अंश पुत्र अशोक कुमार निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0- 200/2025 धारा 69/351(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

